

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारी:- गजेन्द्र शर्मा आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:-14/2024

प्रार्थीगण :-

1. अनोपसिंह पुत्र रूपसिंह
जाति राजपुत निवासी निम्बों का तालाब
तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलौदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :-

अधिवक्ता प्रार्थीगण :- विक्रमसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से :- राज-पैरोकार

--:: निर्णय ::--

दिनांक:- 3 / 04 / 2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर बताया कि बापिणी तहसील के पटवार मण्डल निम्बों का तालाब के राजस्व ग्राम निम्बों का तालाब में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 478/35 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 480/35 रकबा 3.0594 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है जिसका सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किये गये तथा अप्रार्थी सम्मन तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुये अप्रार्थी की ओर से राज-पैरोकार उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र का जबाब दिये जाने एवं अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर किये जाने पर जबाब पेश किया गया जो शामिल मिशल किया गया।

अप्रार्थी का जबाब पेश हो जाने पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करने का अनुरोध किया। विद्ववान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरान को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम निम्बों का तालाब में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 478/35 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 480/35 रकबा 3.0594 हैक्टेयर भूमि की सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करवाकर पत्थर गढी करवाकर खेत के कणा माठ कायम करवाने हेतु पैमाईस व पत्थरगढी करवाना चाहते हैं और पडौसी खातेदार खेत की सीमा माठ को खुर्द-बुर्द करने की चेष्टा कर रहे हैं। उक्त आराजियत के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पुख्ता स्थाई मुताम सुनियोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है और प्रार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128



एल आर एक्ट में पेश किया है तथा प्रार्थी की भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी के आवेदन पत्र का तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस सुन कर मनन किया जाकर यह पाया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थीगण के पड़ोसीयान के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन पड़ोसी से सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है और पत्थरगढी के अभाव में खेत में बोयी जाने वाली फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। चूकिं प्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और ऐसी ही प्रार्थी ने इस्तदुआ चाही है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय में स्वीकार किये जाने के योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 110,111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बापिणी के पटवार मण्डल निम्बों का तालाब में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम निम्बों का तालाब के खसरा नम्बर 478/35 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 480/35 रकबा 3.0594 हैक्टेयर जमीन का सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर रिकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा पत्थरगढी के दौरान मौके पर किसी अन्य का कब्जा पाया जाये तो उसे जरिये पत्थरगढी नहीं हटाया जाये तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब आवश्यक रूप से पेश करें। निर्णय पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 3 /04/2025 को सुनाया गया।



Rajend.
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
जयपुर फलोदी